

नोट— आज दिनांक 02.02.2023 दिन गुरुवार को (परिवादी साक्षी) प्रेमीचंद को पुनः शपथ दिलाकर शेष प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया।

// प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री जतिन्दर सिंह सैन्सरी, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त //

— 13/ मैं वर्तमान में सुकमा में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मैं वर्ष 2019 से पहले गांव में कृषि कार्य करता था। मेरे नाम पर 3.5 एकड़ जमीन है। 1 एकड़ जमीन में लगभग 25 क्विंटल धान उत्पादन करता था।

प्रश्न :- यदि 1 एकड़ जमीन पर 25 क्विंटल धान का उत्पादन होता है तो 3.5 एकड़ जमीन में कितना धान उत्पादन होगा?

उत्तर— 87.5 क्विंटल होगा।

14/ यह कहना सही है कि मैंने अपने विधिक सूचना पत्र, परिवार पत्र एवं शपथ पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि मेरे पिता, मेरी माता एवं मेरे भाई के नाम पर भी जमीने हैं, जिससे धान का उत्पादन होता है। यह कहना सही है कि मेरे प्रेषित विधिक सूचना पत्र, परिवार पत्र एवं शपथ पत्र में इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि मेरे पिता, मेरी माता एवं मेरे भाई के नाम पर कुल कितने एकड़ भूमि है।

15/ यह कहना सही है कि मेरे द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे दर्शित हो कि मेरे पिता, मेरी माता एवं मेरे भाई के नाम पर कृषि योग्य भूमि है।

16/ यह कहना सही है कि सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष धान की फसल का समर्थन मूल्य तय किया जाता है। यह कहना सही है कि सरकार के द्वारा प्रत्येक कृषक के नाम पर एक अनुज्ञप्ति जारी की जाती है कि कृषक अपनी फसल को किस मंडी में जाकर बेचेगा। मैं आरंग क्षेत्र में निवास करता हूँ। मेरी कृषि भूमि आरंग से 1 किलोमीटर दूर बैहार गांव में है।

17/ यह कहना सही है कि मुझे वर्ष 2016—2017 में मेरी कृषि भूमि से उत्पादित 87.5 क्विंटल धान के विक्रय की अनुज्ञप्ति प्राप्त हुई थी। मुझे वर्ष 2016—17 में

मेरी कृषि भूमि से उत्पादित 87.5 क्विंटल धान के विक्रय हेतु प्राप्त अनुज्ञप्ति के अनुसार अपनी धान की फसल को मेरे गांव बैहार से संबंधित ग्राम रीवा की सोसायटी में विक्रय करना था।

18/ मेरे द्वारा वर्ष 2016-17 में उल्लेखित अनुसार 87.5 क्विंटल धान एक ही फसल के विषय में है।

प्रश्न :- आपके द्वारा उल्लेखित अनुसार 87.5 क्विंटल धान एक ही फसल के विषय में है, तो वह एक ही फसल कौन सी है।

उत्तर - साक्षी का कहना है कि रबी फसल 87.5 क्विंटल धान हुआ था और खरीफ फसल भी 87.5 क्विंटल धान उत्पादित हुआ था।

19/ यह कहना सही है कि मेरे उपरोक्तानुसार उल्लेखित रबी फसल 87.5 क्विंटल धान हुआ था और खरीफ फसल भी 87.5 क्विंटल धान का उल्लेख मेरे विधिक सूचना पत्र, परिवाद पत्र एवं शपथ पत्र में उल्लेख नहीं है।

20/ यह कहना सही है कि जिस कृषक को जिस सोसायटी में धान बेचने की अनुमति/अनुज्ञप्ति प्राप्त हो उसे उसी सोसायटी में अपने धान की फसल को विक्रय करना चाहीये। यह कहना सही है कि मेरे परिवाद पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि अभियुक्त के साथ विगत 6-7 वर्षों से मेरी जान-पहचान एवं मित्रता है। साक्षी स्वतः कहा कि अभियुक्त के द्वारा मेरे क्षेत्र के किसानों से धान खरीदी का कार्य किये जाने के कारण मेरा परिचय है। यह कहना सही है कि विधिक सूचना पत्र, परिवाद पत्र एवं शपथ पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं है कि अभियुक्त के द्वारा मेरे क्षेत्र के किसानों से धान खरीदी किये जाने के कारण मेरा परिचय अभियुक्त से है।

21/ यह कहना सही है कि वर्ष 2016-17 में धान खरीदी का समर्थन मूल्य 1470/- प्रति क्विंटल था। साक्षी स्वतः कहा कि वर्ष 2016-17 में धान खरीदी का समर्थन मूल्य कितना था मुझे निश्चित याद नहीं। यह कहना सही है कि सरना एवं 1010 धान की अलग-अलग किस्म है। यह कहना सही है कि सरना एवं 1010 धान का समर्थन मूल्य अलग-अलग है। यह कहना सही है कि सरना धान से 1010 धान उच्च गुणवत्ता का धान है। यह कहना सही है कि वर्ष 2016-17 में सरना धान का खरीदी का समर्थन मूल्य 1470/- प्रति क्विंटल था। साक्षी स्वतः कहा कि मैं पूरी तरह से इस विषय

पर स्पष्ट नहीं हूँ।

22/ मेरे गांव बैहार (आरंग) से अभियुक्त का गांव जवईबांधा की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। मैं वाणिज्य विषय का शिक्षक हूँ। मैं वर्ष 2007 का स्नातक हूँ। यह कहना गलत है कि मैं वर्ष 2007 से 2019 तक शिक्षक का कार्य करता रहा हूँ। यह कहना गलत है कि अभियुक्त के पिता एवं मेरे पिता की आपस में कोई रिश्तेदारी है।

23/ यह कहना सही है कि परिवाद पत्र की सम्पूर्ण कंडिका 2 के कथन मेरे विधिक सूचना पत्र उल्लेखित नहीं है। साक्षी स्वतः कहा कि परिवाद पत्र एवं पंजीकृत सूचना पत्र में आपसी जान-पहचान एवं मित्रवत् संबंध होने का कथन है।

नोट-न्यायालयीन समय समाप्त होने से प्रतिपरीक्षण स्थगित किया गया।

वांचित/सत्य स्वीकृत

मेरे निर्देश पर टंकित

सही/—

सही/—

(अनुप तिग्गा)

(अनुप तिग्गा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ0ग0)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ0ग0)

प्रमाण पत्र

मैं पुष्टि करती हूँ कि इस पी.डी.एफ. फाईल की अंतर्वस्तु अक्षरशः वैसी ही है जो मूल कथन में टंकित की गई है।

स्टेनोग्राफर का नाम:— कु.शीतल तांडी